बिहार सरकार
योजना एवं विकास विभाग

आ0सं0: यो0ले03/3–94/2026– 4547 /यो0वि0,पटना,दिनांक 18 अगस्त, 2026

आदेश

बिहार के प्रायः प्रमंडलों एवं जिलों में क्रमशः क्षेत्रीय योजना कार्यालय (संयुक्त योजना भवन) एवं स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के कार्यालय भवन का निर्माण पूर्व के वर्षो में कराया गया है। क्षेत्रीय योजना कार्यालय (संयुक्त योजना भवन) एवं स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन कार्यालयों द्वारा भवन के जीर्णोद्वार एवं मरम्मति के प्रस्ताव स्वीकृति एवं आवंटन हेतु विभाग को प्राप्त हो रहे हैं।

उपर्युक्त के आलोक में सम्यक विचारोंपरांत निम्नलिखित निर्णय लिये गए:–

1. क्षेत्रीय योजना कार्यालय (संयुक्त योजना भवन) भवन के जीर्णोद्वार एवं मरम्मति का प्राक्कलन संबंधित कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन द्वारा तकनीकी अनुमोदन के उपरांत संबंधित क्षेत्रीय योजना पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जाएगा।
2. स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन कार्यालय भवन के जीर्णोद्वार एवं मरम्मति का प्राक्कलन संबंधित कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन द्वारा तकनीकी अनुमोदन के उपरांत संबंधित जिला योजना पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जाएगा।
3. प्राक्कलित राशि पर संबंधित क्षेत्रीय योजना पदाधिकारी द्वारा क्षेत्रीय योजना कार्यालय (संयुक्त योजना भवन) भवन हेतु एवं संबंधित जिला योजना पदाधिकारी द्वारा कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन कार्यालय भवन हेतु मांग संख्या–35, मुख्य शीर्ष–2053–जिला प्रशासन, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–094–अन्य स्थापनाएँ, उप शीर्ष–0109–योजना यंत्र का सुदृढ़ीकरण जिला योजना के तहत स्थानीय आवश्यकताओं के आलोक में विपत्र कोड–35–2053000940109 के विषय शीर्ष–2702–लघु कार्य अनुरक्षण एवं मरम्मति अंतर्गत अधिकतम मो0 25,00,000/–(पच्चीस लाख रूपये) तक की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाएगी।
4. क्षेत्रीय योजना कार्यालय (संयुक्त योजना भवन) के संबंध में क्षेत्रीय योजना पदाधिकारी द्वारा स्वीकृति आदेश को विभाग को प्रेषित करते हुए आवंटन की मांग की जाएगी।
5. स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के कार्यालय भवन के संबंध में संबंधित जिला योजना पदाधिकारी द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाएगी एवं जिला योजना पदाधिकारी द्वारा आवंटन की मांग की जाएगी।
6. अधियाचना के आलोक में विभाग द्वारा संबंधित क्षेत्रीय योजना पदाधिकारी/जिला योजना पदाधिकारी को आवंटन उपलब्ध करा दिया जाएगा।
7. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी क्रमशः क्षेत्रीय योजना पदाधिकारी/जिला योजना पदाधिकारी होंगे।
8. संबंधित क्षेत्रीय योजना पदाधिकारी/जिला योजना पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता द्वारा कार्य पूर्णता के उपरांत मापी पुस्त के आधार पर राशि का भुगतान करेंगें।

9. क्षेत्रीय योजना पदाधिकारी / जिला योजना पदाधिकारी उक्त कार्य के संबंध में संबंधित अधीक्षण अभियंता से गुण नियंत्रण प्रतिवेदन प्राप्त कर विभाग को उपलब्ध करायेंगें।

10. क्षेत्रीय योजना पदाधिकारी / जिला योजना पदाधिकारी / कार्यपालक अभियंता उक्त योजना पर किये गये व्यय का प्रतिवेदन विभाग को समर्पित करेंगे।

प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(कँवल तनुज)
सचिव 13/8

ज्ञापांकः यो0ले03 / 3–94 / 2026– 4447 / यो0वि0,पटना,दिनांक 18 अगस्त, 2026

प्रतिलिपिः सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव 13/8

ज्ञापांकः यो0ले03 / 3–94 / 2026– 4447 / यो0वि0,पटना,दिनांक 17 अगस्त, 2026

प्रतिलिपिः सभी जिला पदाधिकारी, बिहार / मुख्य अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभित्रंण संगठन, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना / सभी क्षेत्रीय योजना पदाधिकारी, बिहार / सभी अधीक्षण अभियंता, बिहार / सभी जिला योजना पदाधिकारी, बिहार / सभी कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभित्रंण संगठन, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव 13/8

ज्ञापांकः यो0ले03 / 3–94 / 2026– 4447 / यो0वि0,पटना,दिनांक 18 अगस्त, 2026

प्रतिलिपिः वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना / विभागीय लेखा एवं बजट शाखा / आई टी0 मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

आई टी0 मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को निदेश दिया जाता है कि इस आदेश को विभाग के साईट पर अपलोड कर दें।

सचिव 13/8

ज्ञापांकः यो0ले03 / 3–94 / 2026– 4447 / यो0वि0,पटना,दिनांक 18 अगस्त, 2026

प्रतिलिपिः अपर मुख्य सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

सचिव 13/8